दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बारी से पहले मकानों तथा दुकानों का आवंटन

17. **डा० अबरार अहमद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए संसद सदस्य मकान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रावधान हैं, और यदि नहीं, तो सरकार संसद सदस्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से मकान दिलवाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या मंत्री महोदय को दिल्ली में मकान अथवा दुकान आवंटित करने के लिए कोई वैवेकिक शक्तियां अथवा कोटा प्राप्त है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा पिछले 15 महीनों के दौरान इस प्रकार आवंटित मकानों तथा दुकानों की संख्या कितनी है एवं उनके आवंटितियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या दिल्ली के उपराज्यपाल को भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों अथवा दुकानों को बारी से पहले आवंटित करने की कोई वैवेकिक शक्तियां अथवा कोटा प्राप्त है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार आवंटित किए गए मकानों की संख्या सहित उनके आवंटितियों के नाम क्या-क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति संसद सदस्य चुने जाने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकान/फ्लैट के आवंटन के लिए स्वयं को पंजीकृत करा सके और न ही ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ख) विद्यमान नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट/दकान आवंटित करने के लिए शहरी विकास मंत्री का कोई वैवेकिक कोटा नहीं है।

(ग) उपराज्यपाल, दिल्ली/उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण अति अनुकम्पा तथा विपत्ति के मामलों में तथा विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को और ऐसे अन्य विशेष मामलों में जो कि उनकी राय में विशेष ध्यान दिये जाने के पात्र हैं जैसे कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों जिन्होंने राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाया है तथा जिनको राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, रक्षा कार्मिक जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए शौर्य पुरस्कार जीते हैं, और राष्ट्रीय जीवन धाराओं के अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के मामलों में एक वर्ष के दौरान आवंटित फ्लटों की कुल संख्या का 2% आवटन बिना बारी आधार पर करने में सक्षम है।

उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बिना बारी के आधार पर आवंटित दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का विवरण संलग्न है। (देखिये परिशिष्ट 159, अनुपत्र सं० 2)

राजस्थान में जिला मुख्यालयों को रेलवे से जोड़ा जाना

18. **डा० अबरार अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या-क्या हैं जो रेलवे से जुड़े हुए नहीं हैं और इनके कब तक रेलवे से जोड़े जाने की संभावना है;

(ख) क्या कोटा से दिल्ली तक एक नई गाड़ी चलाने की कोई योजना है;

(ग) क्या कोटा-बीना रेलवे लाइन पर कोई एक्सप्रेस (द्रुत गति) गाड़ी चलती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस रेलव लाइन पर पिछले कितने वर्षों से कोई नई एक्सप्रेस (द्रुत गति) गाड़ी नहीं चलाई गई है; और

(घ) कोटा जिले के छीपाबड़ौद कस्बे को रेल लाइन से कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) राजस्थान के निम्नलिखित जिला मुख्यालय रेल से जुड़े हुए नहीं हैं —

1. बांसवाड़ा
2. झालावाड़
3. सिरोही
4. टोंक

इन जिला मुख्यालयों को रेल लाइनों से जोड़ने के लिए कोई समय अनुसूची नहीं दी जा सकती क्योंकि ये किसी स्वीकृत कार्य के संरेखन में नहीं आते।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1.5.1989 से बीना-कोटा खंड के बीना-गुना-रूठियाई भाग में 4309/4310 उज्जैन-देहरादून-उज्जैनी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार चलनेवाली) चल रही है।

(घ) चिपाबादोद टाउन में रेल संपर्क की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्यान्नों की उपलब्धता

19. डा० अबरार अहमद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान में देश में खाद्यान्नों की उपलब्ध मात्रा हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है; यदि नहीं, तो किन-किन वस्तुओं की आपूर्ति कम है तथा इन वस्तुओं की मांग को किस प्रकार पूरा किया जा रहा है और इन वस्तुओं की आपूर्ति को सतत् रूप से बनाए रखने के संबंध में क्या-क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुलायपल्ली रामचंद्रन) : खाद्यान्नों की आवश्यकता की पूर्ति कुल मिलाकर, घरेलू उत्पादन से की जाती है। तथापि, दालों के मामले में कमी की पूर्ति आंशिक रूप से आयात करके की जाती है।

सरकार भविष्य में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, अनाज मिनीकिट कार्यक्रम, समेकित चावल विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। अन्य कार्यक्रमों, जैसे छोटे और सीमांत किसान विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम आदि में भी खाद्यान्नों सहित फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की बात निहित है। दलहन विकास कार्यक्रम तिलहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत लाये गये हैं, ताकि फसल उत्पादन, कटाई के बाद की और परिसंस्करण तकनीकों में सुधार लाया जा सके और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं को सरल बनाया जा सके।

चीनी का उत्पादन

20. श्री राम जेठमालानी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1990–91 के गन्ना-पिराई मौसम के दौरान, 1989–90 के गन्ना-पिराई मौसम की तुलना में, चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चीनी का उत्पादन अनुमानतः कितना होगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि के कारण इस उत्पादन वृद्धि का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचेगा; और

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक चीनी के मूल्य में